

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक: एफ 7/सहरिया/सीटीएडी/सड़क प्रस्ताव/ 2020-21/

दिनांक :

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी,
सहरिया विकास परियोजना शाहबाद,
जिला बारां।

विषय :- सी.सी. सड़क निर्माण राज.जन.कन्या आवासीय विद्यालय किशनगंज की संशोधित वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 16671-78 दिनांक 30.06.2021 तथा आपके कार्यालय का पत्रांक 1734 दिनांक 16.07.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा मैन रोड से राज.जन.कन्या आवासीय विद्यालय किशनगंज (बारां) तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी।

उक्त कार्य हेतु स्वीकृत बचत राशि का उपयोग आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा अन्य कार्य हेतु होने से इस कार्य के लिए आपके कार्यालय के निजी निक्षेप खातों में विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या 58/2019-20, स्वीकृति संख्या 96/2019-20 तथा स्वीकृति संख्या 72/2020-21 में उपलब्ध राशि के उपयोग की अनुमति देते हुए निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्नानुसार राशि 53.23 लाख की संशोधित वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :-

कार्यकारी एजेन्सी- अधिशाषी अभियंता, सा0नि0विभाग, शाहबाद बारां

(राशि लाख रु. में)


क्र. स.	कार्य स्थान का नाम	प्रशा. स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति		0.25 % कन्टिजेन्सी चार्ज राशि आयुक्त खाते में
			क्र./दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6
2	मैन रोड से राज.जन.कन्या आवासीय विद्यालय किशनगंज (बारां) तक सी.सी. सड़क निर्माण	53.23	AE/Tech./20-21/ 23.03.2021	53.23	0.098
	योग	53.23		53.23	0.098

विभागीय आदेश क्रमांक एफ-6()लेखा/सीटीएडी/अधिकारो प्रत्यायोजन /2020-21/ क्रमांक 9609-34 दिनांक 12.03.2021 के क्रम में हस्तांतरित राशि पर देय कन्टिजेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत राशि रु. 0.58 लाख में से 0.25 प्रतिशत राशि कॉलम संख्या 6 अनुसार रु. 0.098 लाख प्रोजेक्ट मोनिटरिंग हेतु आयुक्तालय में हस्तांतरित करावें।

शर्त :-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें।


2. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना अनुसार किया जावे। तकमीना के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावे। कार्यादेश की प्रति भिजवाई जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र मय फोटोग्राफ के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटावे।
4. स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
5. निविदा आदि कारणो से कार्य मे विलम्ब के कारण लागत मे वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
6. स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।


 (प्रज्ञा केवलरमानी)I.A.S.
 आयुक्त

क्रमांक:-यथोपरि/ 22845-53
 प्रतिलिपि :

दिनांक : 19/08/21

- (1) निजी सहायक, मा.राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (2) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (3) जिला कलक्टर, बारां।
- (4) अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग शाहबाद, जिला बारां।
- (5) वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
- (6) मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
- (7) कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
- (8) गार्ड फाईल।


 अतिरिक्त आयुक्त
 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
 उदयपुर